न्यायालय सिविल जज {अ0व0}, मैनपुरी।

प्रकीर्ण वाद सं0 09/2018

श्रीमती राधिका यादव बनाम आवाम

दिनांक 20–07–2018

पत्रावली पेश हुई। पक्षकार व्यक्तिगत रूप से हाजिर आये। प्रथम पक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र 4ग2 मय शपथपत्र 5ग2 प्रार्थना पत्र के अन्त में वर्णित शिड्यूल की धनराशि के बाबत अपने पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किये जाने की याचना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

प्रथम पक्ष द्वारा जरिये प्रकाशन हर आम व खास को नोटिस जारी की गई।

प्रार्थना पत्र में वर्णित अन्य विधिक वारिसान कल्पना, सपना यादव, सोमना यादव , संजय यादव, अजय यादव का अनापत्ति शपथ पत्र कागज सं0 22ग2 लगायत 26ग2 पत्रावली पर संलग्न है।

प्रथम पक्ष ने सूची सं0 16ग2 से 17ग2 असल बैंक ऑफ इण्डिया पासबुक, 17ग2 असल परिवार रजिस्टर, असल मृत्यु प्रमाण पत्र विश्वम्भर दयाल प्रस्तुत किये है। न्यायालय द्वारा आहूत बैंक का विवरण भी पत्रावली पर संलग्न है।

अतः उपरोक्त विवेचित तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर आवेदक के पक्ष में 4ग2 प्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 4ग2 स्वीकृत। आवेदिका श्रीमती राधिका यादव के पक्ष में प्रार्थना पत्र 4ग में वर्णित धनराशि के बाबत नियमानुसार न्यायालय शुल्क अदा करने पर उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी हो। प्रथम पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वह फोटोयुक्त अन्डरटेंकिंग इस आशय की प्रस्तुत करे कि यदि किसी न्यायालय अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि जिसके बावत उत्तराधिकार प्रमाण जारी किया जा रहा है जिसके बारे में अन्यथा कोई आदेश पारित किया जाता है यदि किसी अन्य व्यक्ति के हक में स्वीकार किया जाता है तो प्रार्थिनी को अदा की गयी धनराशि उक्त आदेश के अधीन होगी तथा सम्पूर्ण धनराशि मय ब्याज वापस जमा करनी होगी। मुंसरिम न्याय शुल्क के बावत अपनी आख्या प्रस्तुत करे। प्रार्थिनी द्वारा न्याय शुल्क के बावत पैरवी की जाये। तदोपरान्त पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(कुमुदलता त्रिपाठी)
सिविल जज {अ0व0},
मैनपुरी